

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 0.1134 है0 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास^V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 ~~से 0.2~~ प्रतिशत है जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0.657.00 लाख मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0.745.00 ^(0.74584) लाख मात्र किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
कानूनी

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन-प्रभाग
चक्राता

(प्रपत्र-50(a))

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 0.1134 है0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू0 880000.00 प्रति है0 की दर से कुल मूल्य रू0 99792.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट शून्य रू0 होता है।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
अधिशाली अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
कालसी

उप जिलाधिकारी
कालसी
उप जिलाधिकारी
कालसी

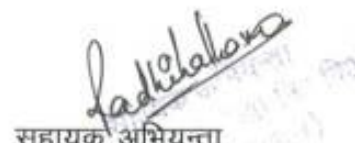
जिलाधिकारी
देहरादून। जिलाधिकारी
देहरादून

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।
(लम्बाई- 0.435 किमी0)

एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया


सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया
अधिशाली अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 0.1134 है0 आरक्षित वन भूमि, वन पंचायत भूमि एवं सिविल भूमि सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू0 8,80,000.00 प्रति है0 की दर से कुल मूल्य रू0 99792.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रू0 होता है।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया


सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया
अस. सहायक (देहरादून)


अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया
अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक


तहसीलदार
कालसी


उप जिलाधिकारी
कालसी
उप जिलाधिकारी
कालसी


जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी देहरादून